न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04 / 2021

प्रविष्टि दिनांक 22.01.2021

रामकिशन पुत्र सूजा जाति जाट निवासी नयागांव ब्राहमणो का बास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिह जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 05.10.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री मनीष कासलीवाल, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 25.03.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह ने अपने आदेश दिनांक 05.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 1 हे0 किस्म चरागाह वाके ग्राम नयागांव ब्राहमणो का बास पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेसपोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट को साक्ष्य–सवूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नही दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया वह प्रिन्टेड फार्म पर है। खाली स्थान की पूर्ति कर निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे कब्जा डोल अंकित किया है। अपीलांट का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर कब्जा नही है। डोल प्राकृतिक रूप से मौके पर स्थित है। अपीलांट द्वारा मौके पर कोई काश्त नही की है। पूर्व रिपोर्ट मे भी कब्जा डोल अंकित है अर्थात कब्जा नही हटाया है। वैसे भी जो प्राकृतिक रूप से डोल [illegible] है, उसमें भूमि का कटाव नही होता है एंव पानी भी रूकता है जो चरागाह के उपयोग [illegible] पुन[illegible] लिये लाभदायक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे अपीलांट को [illegible] वर्ष कौनसी [illegible]वली मे बेदखल किया गया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:34:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

उल्लेख नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 533 रकबा 1 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम न्यामाव ब्राह्मणो का बास तहसील टोडारायसिंह पर कब्जा डोल कर अतिक्रमण किया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की प्रोपर तामिल भी नही हुई है। अपीलांट द्वारा कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 91 की रिपोर्ट कब्जा डोल बाबत की गई है,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अंकित किया है कि "बतौर शास्ति आरोपित की जाती है तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान व रकबे से बेदखली के आदेश दिये जाते है तथा उक्त रकबे में खडी फसल को राज हित में जब्त सरकार करने, वसूली, खडी फसल को नीलामी बावत स्वीकृती एक सप्ताह में पेश करने हेतु आदेश भू-अभिलेख निरीक्षक एव पटवारी हल्का को दिये जाते है"। अपीलांट को जारी नोटिस की पुश्त पर नोटिस लेने से मना किया अंकित है,परन्तु तामिल कुन्निदा के हस्ताक्षर नही है। पटवारी द्वारा कब्जा डोल की रिपोर्ट पेश की है,परन्तु न्यायालय द्वारा फसल निलामी के आदेश पारित किये गये है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दो अतिक्रमी के विरूद्व पेश की गई,परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय सिर्फ एक अतिक्रमी के विरूद्व पारित किया गया है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 05.10.2020 को अपास्त कर अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 05.10.2020 निरस्त कर प्रकरण त[illegible] टोडारायसिंह को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित [illegible] कि अपीलाण्ट को समुचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:34:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सुनवाई / साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करे। प्रार्थना पत्र स्थगन अस्वीकार किया जाता है।खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीठासीन अधिकारी)
अति.जिला कलक्टर–टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:34:31 IST
Reason: SelfAttested

948

Scanned by CamScanner